

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/
रुपए

(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 6 जनवरी 2018 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

| | |
|---|----|
| इस अंक में | |
| मुख्य घटनाएँ ----- | 2 |
| बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----- | 4 |
| विनियामकों के कथन----- | 4 |
| बीमा ----- | 5 |
| उत्पाद एवं गठजोड़ ----- | 5 |
| विदेशी मुद्रा ----- | 6 |
| शब्दावली ----- | 7 |
| वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----- | 7 |
| संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----- | 7 |
| संस्थान समाचार ----- | 9 |
| नयी पहलकदमी ----- | 12 |
| बाजार की खबरें ----- | 13 |

2

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मर्दें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मर्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स समाचार मर्दों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की

सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक का 8वां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

मौद्रिक नीति समिति की 8वीं बैठक 5 एवं 6 दिसंबर, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में आयोजित हुई। प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर 6%, प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 5.75%, बैंक दर 6.25% पर अपरिवर्तित रही।
- शेष वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बढ़ाकर 4.3-4.7% किया गया।
- बैंक खातों को आधार से जोड़ने का कार्य वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाए।
- डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड लेनदेनों पर प्रभारों को युक्तियुक्त बनाना।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने परिवाद निवारण के लिए मानदंड अधिसूचित किए

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी संस्था भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IB BI) ने परिवाद निवारण कार्यविधि के लिए

3

संशोधित विनियमन अधिसूचित कर दिये हैं। तदनुसार, शिकायत के तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण न पाये जाने पर हितधारक को फाइलिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ये विनियम लेनदारों, देनदारों और सेवा-प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों पर लागू होंगे। शिकायत के आधार पर, दिवाला और दिवालियापन बोर्ड जांच का आदेश दे सकता है अथवा संबन्धित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है।

दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने सूचना उपयोगिताओं के तकनीकी मानकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने सूचना उपयोगिताओं द्वारा अन्य पक्षों के साथ सूचना के विवरण बांटने में सहमति के ढांचे सहित अपनाए जाने वाले तकनीकी मानकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सूचना उपयोगिताएं चूकों की पहचान करने तथा दावों का शीघ्रतापूर्वक सत्यापन करने में सहायता करने के लिए वित्तीय सूचना भंडारित करती हैं, ताकि दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत लेनदेनों को समयबद्ध रीति से पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सूचना के प्रस्तुतन, पहचान एवं सत्यापन, डाटा की अखंडता,

जोखिम प्रबंधन के ढांचे, सूचना के परिरक्षण एवं परिमार्जन हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

एजेसी बैंकों को सरकारी अनुदेशों के पालन में मुस्तैद रहना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक ने एजेसी बैंकों अर्थात् सरकारी कामकाज करने वाली बैंकिंग कंपनियों से केंद्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदेशों का भारतीय रिजर्व बैंक से निदेशों की प्रतीक्षा किए बिना त्वरित निष्पादन करने के लिए कहा है। सरकारों को कार्यक्रमों को कुशल एवं समयबद्ध रीति से कार्यान्वित करना होता है। अतएव, वे सहज निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से त्वरित प्रत्युत्तर एवं सहयोग की आशा करती हैं। बैंकों को इसप्रकार के लेनदेनों से संबन्धित प्रश्नों के लिए संबन्धित सरकारों से सीधे संपर्क करना चाहिए। वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने से संबन्धित प्रश्नों के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

4

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के मामले में 1 जनवरी, 2018 से जनवरी - मार्च 2018 तिमाही के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में निवेश हेतु सीमाओं में 6,400 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारी ऋणों (SDLs) में 5,800 रुपए की वृद्धि कर दी है, सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की उक्त संशोधित सीमा 2,56,400 करोड़ रुपए होगी।

विनियामकों के कथन

पूंजी नियंत्रणों के बिना विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों से काम नहीं चलेगा

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ विरल आचार्य ने कहा है कि स्थूल विवेकपूर्ण उपायों अथवा पूंजी नियंत्रण के किसी न किसी रूप के अभाव में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों से काम नहीं चलता। इसके अलावा अल्पावधिक विदेशी ऋण द्वारा प्रारक्षित निधियों का निःशेषण स्थिति को अधिक बुरी हालत में ला सकता है। स्थूल विवेकपूर्ण विनियमनों ने प्रारक्षित निधियों को प्रभावी बनाया है। स्थानीय और विदेशी ऋण, दोनों में विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाहों में कमी लाई जानी चाहिए। देयताओं के सही आंकड़ों को जानने के लिए विदेशी निवेशकों के प्रति निवल अल्पावधिक दावों में अप्रतिरक्षित (un-

hedged) विदेशी एक्सपोजरों और समस्त प्रतिवर्ती “अति शीघ्र चलायमान मुद्रा” (hot money) का समावेश होना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पंजीकरण से उत्पादक क्षेत्रों को निरंतर निधि प्रवाह सुनिश्चित होगा

5

दिवाला और दिवालियापन संहिता ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार प्रदान किया है कि वह बैंकों को निराकरण प्रक्रियाएं आरंभ करने का निदेश दे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा॰ ऊर्जित पटेल को आशा है कि बैंक वित्तीय मध्यस्थीकरण की मुख्य धारा में वापस आने के लिए कारपोरेट ऋण अपचार /चूक की क्षीणकारी समस्या से निपटने के लिए इस अवसर का उपयोग करेंगे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कारपोरेट अभिशासन में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडलों को सुदृढ़ बना कर, प्रबंधन की नियुक्तियों में वस्तुपरकता लाकर तथा निर्णयन प्रक्रिया को व्यावसायिक बोर्ड को विकेंद्रीकृत करने जैसे उपाय करने का मन बना लिया है।

बीमा

वित्तीय सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यालय खोलने हेतु बीमा फ़र्मों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) बीमा कार्यालय (IIOs) खोले जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप उसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों (IFSC-SEZs) में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र- विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों के अनुरूप बीमाकर्ताओं एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के पंजीकरण और परिचालन की प्रक्रिया लागू कर दी है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था/कंपनी प्राधिकारी से एक बीमा कार्यालय (IIO) के रूप में पूर्व पंजीकरण प्राप्त किए बिना बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय प्रारम्भ या शुरू नहीं कर सकता/सकती। पंजीकृत बीमा कार्यालय को अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों से और भारत से बाहर वाले स्थान से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के भीतर सीधे बीमा व्यवसाय या पुनर्बीमा व्यवसाय करने की अनुमति होगी। आवेदक को न्यूनतम निर्धारित पंजी अथवा 10 लाख रुपए दर्शानी होगी।

उत्पाद एवं गठजोड़

6

| संगठन | जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ | उद्देश्य |
|-------|-----------------------------|----------|
|-------|-----------------------------|----------|

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | रिसीवेबल एक्सचेंज आफ इंडिया लि० | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीजकों को डिजिटल प्लेटफार्म पर भुनाने हेतु। |
| फिनो पेमेंट बैंक | राजस्थान सरकार | उसके कारपोरेट व्यवसाय संपर्कों के रूप में राज्य में लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु। |
| सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट (SLCM) | एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक | वहनीय ब्याज दरों पर कटाई-पश्चात ऋण तक पहुँच बढ़ाने में सहायता करने हेतु। इसके अलावा बाजार में उनकी उपजों के लिए उचित मूल्य अन्वेषण हेतु वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं तक सहज पहुँच प्रदान करने के लिए भी। |

विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

| मद | 29 दिसंबर, 2017 के दिन बिलियन रुपए | 29 दिसंबर, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर |
|---|------------------------------------|---|
| कुल प्रारक्षित निधियाँ | 26,176.9 | 4,09,366.6 |
| (क) विदेशी मुद्रा आस्तियाँ | 24,615.4 | 3,85,103.9 |
| (ख) सोना | 1,334.8 | 20,716.0 |
| (ग) विशेष आहरण अधिकार | 96.6 | 1,511.5 |
| (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति | 130.1 | 2,035.2 |

जनवरी, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

| मुद्रा | 1 वर्ष | 2 वर्ष | 3 वर्ष | 4 वर्ष | 5 वर्ष |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| अमरीकी डालर | 1.89300 | 2.07500 | 2.17300 | 2.19840 | 2.23560 |
| जीबीपी | 0.63290 | 0.7951 | 0.8884 | 0.9671 | 1.0325 |
| यूरो | -0.25300 | -0.146 | -0.030 | 0.174 | 0.316 |

7

| | | | | | |
|-------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| जापानी येन | 0.04130 | 0.063 | 0.080 | 0.088 | 0.110 |
| कनाडाई डालर | 1.94000 | 2.066 | 2.165 | 2.222 | 2.256 |
| आस्ट्रेलियाई डालर | 1.89000 | 2.060 | 2.208 | 2.480 | 2.568 |
| स्विस फ्रैंक | -0.59500 | -0.486 | -0.327 | -0.235 | -0.139 |
| डैनिश क्रोन | -0.13740 | -0.0175 | 0.1500 | 0.3206 | 0.4694 |
| न्यूजीलैंड डालर | 2.03500 | 2.219 | 2.408 | 2.570 | 2.708 |
| स्वीडिश क्रोन | -0.34300 | -0.140 | 0.091 | 0.308 | 0.508 |
| सिंगापुर डालर | 1.35500 | 1.535 | 1.658 | 1.759 | 1.850 |
| हांगकांग डालर | 1.60000 | 1.860 | 2.000 | 2.090 | 2.170 |
| म्यामार | 3.68000 | 3.730 | 3.760 | 3.820 | 3.850 |

शब्दावली

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत की वित्तीय प्रणाली के समग्र मूल्यांकन तथा वैश्विक एवं घरेलू कारकों से पैदा होने वाले जोखिमों के प्रति पश्चापसारिता (resilience) का निरूपण करती है। इसके अतिरिक्त उक्त रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन पर विचार का भी समावेश होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM)

परिपक्वता पर प्रतिफल बांडधारक से इस धारणा के आधार पर किया गया प्रतिफल का वादा होता है कि बांड परिपक्वता तक रखा जाएगा और कूपन भुगतानों का परिपक्वता पर प्रतिफल की दर पर पुनः निवेश किया जाएगा। यह बांड के प्रतिलाभ का एक माप होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

8

जनवरी/फरवरी, 2018 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | तिथि | स्थान |
|----------|--|-------------------------|---|
| 1 | प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण | 18 से 20 जनवरी, 2018 तक | मुंबई |
| 2 | प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण | 22 से 24 जनवरी, 2018 तक | हैदराबाद |
| 3 | प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण - आभासी प्रशिक्षण विधि | 13 से 15 जनवरी, 2018 तक | इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से समस्त भारत |
| 4 | डिजिटल बैंकिंग पर कार्यक्रम | 29 से 31 जनवरी, 2018 तक | मुंबई |
| 5 | धन-शोधन निवारण और अपने ग्राहक को जानिए पर कार्यक्रम | 29 से 31 जनवरी, 2018 तक | मुंबई |
| 6 | बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए 7वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | 5 से 10 फरवरी, 2018 तक | मुंबई |

संस्थान समाचार

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- 1° खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।
- 2° जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।
- 3° लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
4. ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे

9

पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है।

अभ्यर्थियों को ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान ऋण प्रबंधन पर इसके नीचे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार 74 केन्द्रों पर परीक्षाएँ आयोजित करेगा :

| परीक्षा | परीक्षा की तिथि | पंजीकरण के लिए खुली अवधि |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| प्रमाणित ऋण अधिकारी | 24-02-2018 | 12-01-2018 से 30-01-2018 तक |
| | 24-03-2018 | 09-02-2018 से 27-02-2018 तक |
| प्रमाणित खजाना व्यापारी | 24-02-2018 | 12-01-2018 से 30-02-2018 तक |
| | 24-03-2018 | 09-02-2018 से 27-02-2018 तक |
| वित्तीय सेवाओं में जोखिम | 24-02-2018 | 12-01-2018 से 30-01-2018 तक |
| | 24-03-2018 | 09-02-2018 से 27-02-2018 तक |

कृपया परीक्षा पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

10

”बैंकिंग चाणक्य” प्रश्नमंच

संस्थान द्वारा भारत में किसी भी स्थान पर स्थित किसी भी बैंक में नियोजित सदस्यों के लिए ‘बैंकिंग चाणक्य’ नामक एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले प्रारम्भिक चक्र में राष्ट्रभर के बैंकरों से अच्छी-खासी सहभागिता परिलक्षित हुई। बुनियादी धरातल के अंचल स्तरीय दूसरे चक्र की प्रतियोगिताएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई में आयोजित की गईं। प्रश्नमंच का तीसरा भाग राष्ट्रीय स्तर का अंतिम (Finale) आयोजन था जिसमें प्रत्येक अंचल से विजेता टीमों ने सहभागिता की। भव्य फ़िनाले प्रतियोगिता का आयोजन 12 जनवरी, 2018 को मुंबई में किया गया तथा उसे राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित किया गया।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू० के० के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू० के० के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए प्रमाणित ऋण परामर्शी (CCC) कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 जुलाई, 2017 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ एक भागीदारी करार किया। प्रमाणित ऋण परामर्शी बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स द्वारा संचालित सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों पर एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर तथा उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित समुचित सावधानी जांच पूरी कर लेने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणित ऋण परामर्शी के रूप में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसामग्री

11

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंध के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई। इस विषय पर पहली परीक्षा जनवरी, 2018 में आयोजित की जाएगी।

आभासी कक्षा में समाधान

संस्थान ने आभासी कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। इसे शीघ्र ही परिचालनीय बनाया जाएगा। प्रारम्भ में, ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के सक्षमता निर्माण कार्य के अधीन अभिज्ञात पाठ्यक्रमों में से एक है, आभासी कक्षा में समाधान विधि का उपयोग करते हुये उपलब्ध कराया जाएगा। पहली आभासी कक्षा में समाधान की शुरुआत 9 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2017 तक के पाठ्यक्रम में की गई।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक्काबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण 8 मई, 2017 से आरंभ हो रहा है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2018 के आगामी अंक के लिए निर्धारित विषय-वस्तु है :
“बैंकों में साइबर सुरक्षा।” सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के तिमाही जर्नल में प्रकाशन हेतु आलेख भेज कर योगदान करें।

12

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

- (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।
- (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों

और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स का जर्नल

- 1° प्रकाशन स्थल : मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता : मासिक
3. प्रकाशक का नाम : डा° जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय

13

- पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपादक का नाम : डा° जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
- 5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा,
मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा° जे° एन° मिश्र, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017

डा° जे° एन° मिश्र

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें
भारत औसत मांग दरें

6.2
6.
5.8
5.6
5.4
5.2
5

14

4.8

जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, दिसंबर, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90
85
80
75
70
65
60
55
50

अमरीकी डालर
जीबीपी
यूरो
येन

जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

12
10
8
6
4
2
0

जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

35000
34000
33000

15

32000
31000

30000
29000
28000
27000
26000

जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवम्बर, 2017, दिसंबर, 2017
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

13
11
9
7
5
3
1

जून, 2017, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्टूबर, 2017, नवंबर, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2017

डा० जे० एन० मिश्र द्वारा मुद्रित, डा० जे० एन० मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा० जे० एन० मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जनवरी, 2018